संख्या-8/2015/ 2795सी0डी0/46-3-14-1000(74)/2013-टी.सी.-1

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।.

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,

सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बिजनौर, अमरोहा तथा मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी , 2015

विषय- अंशदायी आधार पर चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण मद में अनुदान संख्या-83 (जिला योजना) एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्ययोजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण (जिला योजना) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत/एस0सी0एस0पी) में, प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0 01 हजार का प्रतीक प्राविधान करते हुए रू0 10 करोड़ तक नवीन कार्य कराये जाने की प्राप्त विधायी स्वीक़ति के अनुक्रम में योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र), जो उक्त प्रतीक प्राविधान में समाहित हो गयी है, के सापेक्ष कुल रू0 12,84,01,300/- (रू0 बारह करोड़ चौरासी लाख एक हजार तीन सौ मात्र) की प्रस्तावित कार्ययोजना का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित 46 सम्पर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु, उनके सामने कालम-6 में अंकित लागत की धनराशि के सापेक्ष, निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार अपेक्षित 80 प्रतिशत शासकीय अंशदान की धनराशि रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति, इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आवंटन किया गया है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संबंधित गन्ना संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

4- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित उपयुक्त सड़कों का निर्माण शासनादेश संख्या-1425/क0नि0प्र0/26-3-2013-13(21)/2013, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 में अनुसूचित जाति सब-प्लान के लिये निर्धारित अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर किया जा रहा है।

5- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाती है तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुये संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/ डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति तथा सड़कों के आगणनों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सड़कों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। विस्तृत आगणन यदि मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते है तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

7- स्वीकृत कार्यों हेतु चयनित भूमि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह भूमि निर्विवादित हो। यदि किसी विभाग अथवा संस्था के क्षेत्र में सड़क के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जाता है तो संबंधित विभाग/संस्था की अनापत्ति कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही प्राप्त कर ली जाये।

8- कार्य विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा की अवधि में ही पूर्ण हो जाय। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अशंदान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हुये अतिरिक्त कार्य कराया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

9- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था गन्ना विकास विभाग की अभियन्त्रण शाखा होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों एवं मात्रा के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही सम्पादित कराये जाय। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

10- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य होगी।

11 - प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक के स्तम्भ-8 में अंकित सेन्टेज चार्जेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था अभियन्त्रण शाखा, गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

12- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के व्यय के संबंध में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-2392/23-1-2013-72सा0/12, दिनांक 22.11.2013 द्वारा निर्गत "उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013" का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों, बजट-मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों आदि के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

15- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा नियत ''डिस्पले बोर्ड'' पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

17- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक-''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जतियों के लिये विशेष घटक योजना-09-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गो का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

18- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं बी-2-3361/दस-2014-244/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014, तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-417/26-ब0प्र0-2014, दिनांक 29 मार्च, 2014 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

संख्या-8/2015/ 2795 सी0डी0(1)/46-3-14-1000(74)/2013- टी.सी.-1, -तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश।
6- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
8- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
9- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
10- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
11- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
14- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग
15- गार्ड फाइल।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-8/2015/2795सी0डी0/46-3-14-1000(74)/2013-टी.सी.-1, दिनांक 05 फरवरी, 2015 का संलग्नक

अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना (जिला योजना) वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में सुदृढीकरण कार्यों की कार्ययोजना

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहारनपुर	1	उमाही कलां से लुण्ढी की ओर	1.000	21.697	16.88	1.88	15.00
	सहारनपुर	2	नानौता जडौदा पाण्डा राजवाहे की पटरी भाग से ग्राम मोरा	1.000	23.072	17.95	1.99	15.96
	सहारनपुर	3	रामपुर अल्लाउद्दीन मार्ग से आजमपुर अवशेष भाग	0.450	11.922	9.28	1.03	8.25
	सहारनपुर	4	टिकरौल छिछरौली बाईपास मार्ग	1.400	30.493	23.72	2.64	21.08
	सहारनपुर	5	भायला से सुभरी मार्ग अवशेष भाग	1.100	22.976	17.88	1.99	15.89
	सहारनपुर	6	गंगोह अम्बेहटा मार्ग पर धलापडा से सलारपुरा मार्ग का शेष भाग	1.200	27.985	21.77	2.42	19.35
	सहारनपुर	7	नकुड अम्बेहटा मार्ग से आसराखेड़ी	0.830	19.001	14.78	1.64	13.14
	सहारनपुर	8	ग्राम सोना अर्जुनपुर से खुडाना	1.000	21.968	17.09	1.90	15.19
	सहारनपुर	9	बडागाव से दल्हेड़ी मार्ग	1.000	22.155	17.24	1.92	15.32
	सहारनपुर	10	दुगचांडी से शनि मन्दिर की ओर	0.550	11.261	8.76	0.97	7.79
	सहारनपुर	11	गंगोह तितोरो मार्ग से वजीरपुर दूधला मार्ग	0.650	15.199	11.82	1.31	10.51
		11	**जनपद सहारनपुर का योग**	**10.180**	**227.729**	**177.17**	**19.69**	**157.48**
2	मुजफ्फरनगर	1	करवाडा स्कूल से हरसौली की ओर	1.000	23.257	18.09	2.01	16.08
	मुजफ्फरनगर	2	खेड़की धूमनपुरी से शेरपुर नगला	1.500	31.708	24.67	2.74	21.93
	मुजफ्फरनगर	3	मीरापुर रोड से खेड़ी कुरेश	0.400	9.263	7.21	0.80	6.41
	मुजफ्फरनगर	4	घटायन रोड से खेडी कुरेश	0.400	12.269	9.55	1.06	8.49
	मुजफ्फरनगर	5	रोहाना राजवाहे से ग्राम की ओर	0.900	22.826	17.76	1.97	15.79

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मुजफ्फरनगर	6	ग्राम कल्लरपुर से मिमनाला नदी की ओर	1.550	37.949	29.52	3.28	26.24
	मुजफ्फरनगर	7	ग्राम मिमलाना पी0डब्लू0डी0 रोड से कल्लरनपुर की ओर	1.100	41.282	32.12	3.57	28.55
		7	**जनपद मुज़फ्फरनगर का योग**	**6.850**	**178.554**	**138.92**	**15.43**	**123.49**
3	शामली	1	कैराना से मायापुर रजवाहा पटरी तक	1.300	34.134	26.56	2.95	23.61
	शामली	2	गांव ताना नाला पटरी स्कूल से गांव ताना की ओर	0.275	8.184	6.37	0.71	5.66
	शामली	3	जघेडी से काजीपुर हरीपुर मार्ग तक	1.200	27.115	21.10	2.34	18.76
		3	**जनपद शामली का योग**	**2.775**	**69.433**	**54.03**	**6.00**	**48.03**
4	मेरठ	1	अटौरा से साधन मार्ग का शेष भाग	0.630	13.530	10.53	1.17	9.36
	मेरठ	2	परीक्षतगढ़ आसिफाबाद रोड पर नारंगपुर से मुज़फ्फरपुर खुण्टी मार्ग प्र0 भाग	1.000	24.010	18.68	2.08	16.60
	मेरठ	3	दुवेशपुर ईदगाह से बली मार्ग	1.400	30.480	23.71	2.63	21.08
	मेरठ	4	लावड रोड से मैथना इन्द्रसिंह	2.240	46.778	36.39	4.04	32.35
	मेरठ	5	खर्वा सरधना मार्ग से अलीपुर टेहरकी मार्ग	1.700	37.794	29.40	3.27	26.13
	मेरठ	6	अलीपुर टेहरकी मार्ग का अवशेष भाग	0.500	14.007	10.90	1.21	9.69
	मेरठ	7	ग्राम चिन्दौडी-लावड सम्पर्क मार्ग से लावड समसपुर मार्ग	1.315	29.023	22.58	2.51	20.07
	मेरठ	8	खेडी से सरसवा मार्ग का अवशेष भाग	1.520	35.710	27.78	3.09	24.69
	मेरठ	9	सरधना कालन्द रोड से महादेव सम्पर्क मार्ग	1.500	41.438	32.24	3.58	28.66
	मेरठ	10	मुहीउद्दीनपुर सिवाल खास मार्ग से गून तक	0.750	24.470	19.04	2.12	16.92
	मेरठ	11	मेरठ गढ़ मार्ग से शोल्दा सम्पर्क मार्ग	0.421	13.191	10.26	1.14	9.12
	मेरठ	12	मेरठ गढ़ रोड से भगवानपुर घट्टावन मार्ग	0.660	14.770	11.49	1.28	10.21
	मेरठ	13	जिंजोखर ग्राम से ढंेगुर मार्ग	0.770	17.159	13.35	1.48	11.87

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मेरठ	14	शाहजैनपुर नेत्रपाल के चक से देवी मन्दिर मार्ग	1.460	35.292	27.46	3.05	24.41
		14	**जनपद मेरठ का योग**	**15.866**	**377.652**	**293.81**	**32.65**	**261.16**
5	बागपत	1	शबगा से बाछौड़ मार्ग	1.700	40.601	31.59	3.51	28.08
		2	रमाला से ककड़ीपुर मार्ग द्वि0 भाग	1.000	22.363	17.40	1.93	15.47
		2	**जनपद बागपत का योग-**	**2.700**	**62.964**	**48.99**	**5.44**	**43.55**
6	बिजनौर	1	मण्डावली-हरिद्वार मार्ग से औरंगपुर भिक्कू मार्ग	1.360	29.651	23.07	2.56	20.51
	बिजनौर	2	साबूवाला से जाफराबाद मार्ग	1.800	35.716	27.79	3.09	24.70
	बिजनौर	3	मदारीपुर से रायपुर बिज्जू मार्ग	0.750	24.982	19.44	2.16	17.28
	बिजनौर	4	हरगाॅव चान्दन से कुतुबपुर तक	1.325	30.549	23.77	2.64	21.13
	बिजनौर	5	कादीपुरा से तकीपुरा	1.330	26.735	20.80	2.31	18.49
	बिजनौर	6	शेरकोट अफजलगढ़ मार्ग से गाॅवडी मुबारकपुर बंधा तक	1.140	56.535	43.98	4.89	39.09
	बिजनौर	7	फतेहउल्लापुर रेलवे फाटक से कुतुबपुर मार्ग	1.170	22.723	17.68	1.96	15.72
		7	**जनपद बिजनौर का योग-**	**8.875**	**226.891**	**176.53**	**19.61**	**156.92**
7	अमरोहा	1	एन0एच0-24 से रहमापुर खालसा मार्ग प्रथम भाग	3.000	75.183	58.49	6.50	51.99
		1	**जनपद अमरोहा का योग-**	**3.000**	**75.183**	**58.49**	**6.50**	**51.99**
8	मुरादाबाद	1	अकबरपुर चेंदरी से मल्लीवाला मार्ग	2.600	65.607	52.06	5.78	46.28
		1	**जनपद मुरादाबाद का योग-**	**2.600**	**65.607**	**52.06**	**5.78**	**46.28**
		46	**महायोग-**	**52.846**	**1284.013**	**1000.00**	**111.10**	**888.90**

(रू0 दस करोड़ मात्र)

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in